11.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान के अन्तर्गत लोक केन्द्र ग्रा.पं. चापला खुर्द में पेश हुई। वादी मय वकील आये। प्रतिवादीगण के नोटिस तामील पेशी पर तामील शुदा प्राप्त हुए थे। जिन्हें सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। जो वादीगण का आवेदन स्वीकार योग्य होने के कारण ~~वादी~~ वादीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर रखा गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र पायलां खूर्द)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स. 25/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. ताजाराम पुत्र आम्बाराम 2. सताराम पुत्र आम्बाराम 3. मंगलाराम पुत्र आम्बाराम 4. जगमालराम पुत्र आम्बाराम 5. नरसाराम पुत्र वोहताराम 6. फुसाराम पुत्र वोहताराम 7. तिलाराम पुत्र वोहताराम 8. वेलाराम पुत्र वोहताराम 9. टोमीदेवी पत्नी वोहताराम 10. मिसराराम पुत्र जूठाराम 11. तगाराम पुत्र जूठाराम 12. लेहरों पत्नी जूठाराम जाति कुम्हार निवासी– चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		1.जगताराम पुत्र चाम्पाराम 2. मगाराम पुत्र चाम्पाराम 3. नरसाराम पुत्र केसाराम 4. बाबुराम पुत्र गंगाराम 5. मोबताराम पुत्र वसताराम जाति कुम्हार निवासी चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 6. कुंभाराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर 7.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

आदेश

दिनांक–11.6.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम चाडों की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 451 रकबा 32–01 बीघा एवं मौजा सजाडा के खसरा संख्या 435 रकबा 23–18 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम चाडों की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 451 रकबा 32–01 बीघा एवं मौजा सजाडा के खसरा संख्या 435 रकबा 23–18 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम चाडों की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 451 रकबा 32–01 बीधा एवं मौजा सजाडा के खसरा संख्या 435 रकबा 23–18 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा का त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम चाडों की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 451 रकबा 32–01 बीघा एवं मौजा सजाडा के खसरा संख्या 435 रकबा 23–18 बीघभूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम चाडों की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 451 रकबा 32–01 बीधा एवं मौजा सजाडा के खसरा संख्या 435 रकबा 23–18 बीघा भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर **ग्राम चाडों की ढाणी पटवार क्षेत्र चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 451 रकबा 32–01 बीघा एवं मौजा सजाडा के खसरा संख्या 435 रकबा 23–18 बीघा भूमि** के सम्बन्ध में सीमाज्ञान की पूर्व में तहसीलदार सिणधरी कार्यवाही करें। प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क वहन करेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11/6/18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner